

संचालनालय आयुष, म0प्र0
(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

-विज्ञप्ति-

-बीएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस/बीएनवायएस ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम-

-तृतीय चरण-

आयुष मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक/F.No.R-14011/2/2021-EP-I दिनांक 15/1/2021 द्वारा परसेन्टाईल सीमा में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप पुनः पंजीयन एवं अभिलेख सत्यापन खोला जा रहा है। अतः पंजीयन, अभिलेख सत्यापन एवं तृतीय चरण का ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1/ मैरिट निर्धारण प्रक्रिया-


क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 1/2/2021 से 6/2/2021 रात्रि 11:59 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 2/2/2021 से 7/2/2021 रात्रि 11:59 बजे तक
2	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 9/2/2021

2/ तृतीय चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम-

क्र0	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 9/2/2021
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 10/2/2021 से 11/2/2021 रात्रि 11:59 बजे तक
3	सीट आवंटन	दिनांक 17/2/2021
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 18/2/2021 से 20/2/2021 सायं 05 बजे तक

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उक्त ऑनलाइन काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 3- आयुष मंत्रालय भारत सरकार में मान्यता हेतु लंबित आयुष महाविद्यालयों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर प्रवेश नियम के नियम-12 अनुसार सम्मिलित किया जावेगा।
- 4- उक्त चरण में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक/F.No.R-14011/2/2021-EP-I दिनांक 15/1/2021 द्वारा संशोधित परसेन्टाईल सीमा के अनुसार काउंसिलिंग की कार्यवाही संपन्न कराई जायेगी।
- 5- वे अभ्यर्थी जो पूर्व से ही नीट काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हैं उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। बीएनवायएस की काउंसिलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थी उनकी पात्रतानुसार नीट काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन करा सकते हैं।
- 6- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें।


आयुक्त 20/1/2021

संचालनालय आयुष म0प्र0

41614/2021/EP-I

F.No. R.14011/2/2021-EP-I

भारतसरकार

Government of India

आयुर्वेद, योगवैद्यकीय, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy
(AYUSH)

“आयुषभवन”/“AYUSH BHAWAN”

“बी” ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, / ‘B’ Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023/INA, New Delhi-110 023
दिनांक/ Dated: 15 .01.2021

To,

All State Authorities
(As enclosed)

Sub: Admission in Under Graduate Courses in ASU&H College for academic session
2020-21-reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer subject cited above and to say that the Ministry has received various representation requesting to reduce the required percentile criteria in the NEET-2020 in order to be eligible for admission in Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy (ASU & H) UG courses, due to various reasons.


2. In this regard, the matter has been examined by the Ministry and decided that in order to be eligible for admission in ASU & H UG courses, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum marks at 40th percentile in NEET-2020.

However, in respect of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 30th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 35th percentile for Un-Reserved (UR) Category and 30th percentile for SC/ST/OBC.

3. This clarification is applicable only for academic year 2020-21.

4. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully



(SRK Vidyarthi)

Director,

Ministry of AYUSH

Ph. No. 011-24651973